

कार्यालय— संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर, (म0प्र0)

कमांक—क्यू0 / सी0जे0एम0 / 2025

श्योपुर, दिनांक 31/12/25

// कार्य विभाजन आदेश //

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) के अंतर्गत दाण्डिक कार्य विभाजन)

मैं, संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जिला स्थापना, श्योपुर पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरसित करते हुए, वर्ष 2026 के लिये नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करती हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा :-

क.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	आपराधिक कार्य वितरण
1	2	3	4
1	(संध्या मरावी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर	1. संपूर्ण राजस्व जिला श्योपुर	1. समस्त दाण्डिक प्रकरण जिनमें क्षमा प्राप्त अभियुक्तों को साक्षी बनाया गया है। 2. सिनेमेटोग्राफ एक्ट के प्रकरण। 3. पोल्थूशन कंट्रोल एक्ट एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रकरण। 4. केबल, टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट, 1989। 5. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 6. श्योपुर जिले के संपूर्ण आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न ई.आर./खारिजी। 7. श्योपुर जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत 9 टन से अधिक भार क्षमता/ओवर लोडिंग से संबंधित मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रकरण। 8. परिवहन अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रस्तुत समस्त मामले। 9. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974, से संबंधित विचारणीय मामले। 10. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981, से संबंधित विचारणीय मामले। 11. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 12. भारतीय वन अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 13. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारणीय मामले। 14. जिले के ऐसे सभी अधिनियम के प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख कार्य विभाजन में नहीं है। 15. श्योपुर जिले के ऐसे प्रकरण जो केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।
		2 आरक्षी केन्द्र— (1) कोतवाली (2) देहात (3) मानपुर एवं चौकी सामरसा (4) यातायात श्योपुर (5) आबकारी गृह श्योपुर व कराहल, (6) वन विभाग, श्योपुर	1. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, यातायात एवं मानपुर से उद्भूत होने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण के अभियोग पत्र। (परिवाद पत्र एवं ग्राम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर)। 2. आबकारी वृत्त श्योपुर व कराहल में उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र। 3. जिला श्योपुर के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, मानपुर, बड़ौदा, कराहल, सेसईपुरा, ढोढर, बरगंवा एवं आवदा से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 50 या 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा की शराब एवं धारा 49(ए) के आपराधिक प्रकरण के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र। 4. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 5. राजस्व तहसील श्योपुर, बड़ौदा, कराहल से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज खनिज विभाग से संबंधित परिवाद/अभियोग पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम एवं नापतोल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 8. नगर परिषद श्योपुर एवं बड़ौदा से संबंधित नगर पालिका अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

			9. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न खात्मा/खारजी प्रकरण। 10. श्योपुर जिले में स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले या अन्य क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सहयोग से आकस्मिक वाहन चेकिंग से उत्पन्न अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु चलित न्यायालय लगाना। 11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर द्वारा अंतरित प्रकरण।
2.	(अमोघ अग्रवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	आरक्षी केन्द्र- (1) बडौदा एवं चौकी पाण्डोला (2) ढोढर	1. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र (ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे। 2. संबंधित आरक्षी केंद्र एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मानपुर एवं देहात से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 3. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 4. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्र बडौदा एवं ढोढर से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण। 8. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम-1881 के परिवाद पत्र। 9. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 10. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
3.	(श्रीमती मनदीप कौर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	आरक्षी केन्द्र (1) कराहल	1. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र (ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर)। 2. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 3. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्र कराहल से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 5. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 7. आरक्षी केन्द्र अजाक/श्रीमान विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज श्योपुर के न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेश के पालन में जमानत तस्दीक के आदेशों का पालन करना है। 8. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण। 9. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम-1881 के परिवाद पत्र। 10. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 11. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		(2) ग्राम न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/1343	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में वर्णित पहली अनुसूची (धारा 12 और धारा 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008) के भाग-1- भारतीय दंड संहिता-1860/भारतीय न्याय संहिता-2023 के अधीन अपराध, आदि। (i). ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक अवधि के

		जबलपुर दिनांक 02.05.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र 1864/21-ब (एक)/2024 दि 29.04.2024 के क्रम में राजस्व तहसील श्योपुर के अंतर्गत आने वाली समस्त जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्राम, (जिसकी सूची कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर द्वारा जारी की गई है, जो अनुलग्न- स है) जिसमें आरक्षी केन्द्र श्योपुर, देहात, मानपुर, बड़ौदा के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रकरण, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे।	कारावास से दण्डनीय नहीं है। (ii) भा.दं.सं. की धारा 379, 380, 381, 411, 414, 454, और 456/भारतीय न्याय संहिता की धारा 303, 305, 306, 317 एवं 331 के ऐसे अपराध जिनका मूल्य 20,000/- रुपये से अधिक न हो। (iii) भा.दं.सं. की धारा 504 एवं 506 /भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 एवं 352 के अधीन ऐसी अवधि के जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित आपराधिक अभिवास। (iv) पूर्वोक्त अपराधों में से किसी का उपशमन। (v) पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो। 2. ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 में वर्णित पहली सूची के भाग-दो अन्य केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष। (i). ऐसे किसी कार्य द्वारा गठित कोई अपराध जिसके बावत् पशु उपचार अधिनियम-1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया हो। (ii). मजदूरी संदाय अधिनियम-1936 (1936 का 4)। (iii). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 (1948 का 11)। (iv). सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 (1955 का 22)। (v). दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पत्नियों, बालकों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आवेदन। (vi). बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम-1976 (1976 का 19)। (vii). समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)। (viii). घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 (2005 का 43)
4.	सुश्री रिचा भट्ट (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	(1) आवदा एवं चौकी सुसवाडा (2) किशोर न्याय बोर्ड, श्योपुर	1. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र (ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर)। 2. किशोर न्याय बोर्ड श्योपुर से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 4. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्र आवदा एवं किशोर न्याय बोर्ड से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 7. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 8. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण। 9. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम-1881 के परिवाद पत्र। 10. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 11. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
5.	सुश्री पूर्वी राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	(1) महिला थाना श्योपुर (2) सम्पूर्ण राजस्व तहसील बड़ौदा एवं कणहल से महिला उत्पीड़न से संबंधित समस्त प्रकरण	1. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न अभियोग पत्र एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात एवं मानपुर से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के समस्त अभियोग पत्र एवं आरक्षी केन्द्र देहात, आवदा, ढोढर, बड़ौदा एवं बरगंवा से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आपराधिक प्रकरण एवं

		(3) बरगंवा संबंधित समस्त परिवाद पत्र। 2. राजस्व तहसील श्योपुर, कराहल एवं बडौदा से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, एवं नियम 2006, (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे। 3. मुस्लिम महिलाओं का (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम-2019) के तहत आने वाले समस्त विविध अपराध एवं परिवाद पत्र। 4. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 5. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं बरगंवा से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण। 6. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 7. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 8. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 9. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण। 10. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम- 1881 के परिवाद पत्र। 11. श्योपुर जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अनैतिक देह व्यापार से संबंधित प्रकरण। 12. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 13. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		(4) राजस्व तहसील श्योपुर, बडौदा एवं कराहल के अंतर्गत सम्मिलित समस्त आरक्षी केन्द्र 14. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 से 147 के अंतर्गत (नगर पालिका क्षेत्र श्योपुर एवं जिला मुख्यालय की तहसील सीमा क्षेत्र तथा परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर) आवेदन पत्रों से संबंधित विचारणीय मामले।
6.	श्री परवेज आलम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	(1) सेसईपुरा 1. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात एवं मानपुर से उत्पन्न परिवाद पत्र (ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर)। 2. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 3. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्र सेसईपुरा, कोतवाली, देहात एवं मानपुर से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 5. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण। 8. संबंधित आरक्षी केन्द्र सहित कोतवाली, देहात एवं मानपुर से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम-1881 के परिवाद पत्र। 9. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 10. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

तहसील न्यायालय विजयपुर

7. श्री दिनय जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्यापुर	1. तहसील विजयपुर एवं वीरपुर क्षेत्र से संबंधित आरक्षी केन्द्र— (1) विजयपुर (2) अगरा (3) गसवानी (4) मगरदा (5) आबकारी वृत्त विजयपुर एवं वीरपुर (6) वन विभाग	1. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र (महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे। 2. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण। 3. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण। 4. तहसील विजयपुर व वीरपुर से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 5. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 7. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न नगर पालिका परिषद अधिनियम के प्रकरण। 8. संबंधित आरक्षी केन्द्रों एवं आबकारी वृत्त विजयपुर व वीरपुर से उत्पन्न होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रकरण। 9. राजस्व तहसील विजयपुर एवं वीरपुर से उत्पन्न समस्त वन अधिनियम के प्रकरण। 10. राजस्व तहसील विजयपुर एवं वीरपुर से उत्पन्न होने वाले माईनिंग लॉ से संबंधित खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद/अभियोग पत्र। 11. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा प्रकरण। 12. आरक्षी केन्द्र विजयपुर, अगरा, गसवानी, मगरदा से उत्पन्न समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त परिवाद पत्र। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 14. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
	2. संपूर्ण राजस्व तहसील वीरपुर एवं विजयपुर	1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974, से संबंधित विचारणीय मामले। 2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981, से संबंधित विचारणीय मामले। 3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 4. भारतीय वन अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 5. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारणीय मामले।
8. श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयपुर जिला श्यापुर	तहसील विजयपुर एवं वीरपुर क्षेत्र से संबंधित आरक्षी केन्द्र— (1) वीरपुर (2) रघुनाथपुर (3) बिलवानी (4) ओछापुरा	1. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 2. राजस्व तहसील विजयपुर व वीरपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त 08 आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं प्राप्त होने वाले परिवाद पत्र। 3. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52-ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 52-ए के आवेदन पत्र का निराकरण।

		4. राजस्व तहसील विजयपुर व वीरपुर से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, एवं नियम 2006 एवं धारा 125 द0प्र0सं0/धारा 144 बी.एन.एस.एस. (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले गांवों, जो अनुलग्न-अ में वर्णित हैं को छोड़कर) एवं मुस्लिम महिलाओं का (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019) के तहत आने वाले समस्त विविध अपराध एवं परिवाद पत्र प्रस्तुत होंगे। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के अपराध के प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 8. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 9. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण। 10. आरक्षी केन्द्र वीरपुर, रघुनाथपुर, चिलवानी, ओछापुरा से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त परिवाद पत्र। 11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 12. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
--	--	---

/ सामान्य आदेश /

1. इस आदेश के क्रियान्वयन में कोई भ्रम/अस्पष्टता उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावेगा। विभाजन पत्रक के बारे में कोई कठिनाई आने पर उनका निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
2. कार्य विभाजन आदेश भूतलक्षीय प्रभावी नहीं रखेगा और न ही वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लम्बित प्रकरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
3. समस्त मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं सौंपे गये कार्य एवं प्रकरणों का निराकरण करेंगे।
4. **स्थाई गिरफ्तारी वारंट:-** अ-रिक्त/स्थानांतरित न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट का निराकरण, उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा किया जायेगा एवं स्वयं द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंटों का निराकरण करेंगे।
ब- आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात एवं मानपुर के आपराधिक प्रकरणों में वर्ष 2020 के पूर्व में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट का निराकरण **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री परवेज आलम** द्वारा जारी किया जावेगा।
स- पराकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट का निराकरण उस न्यायालय द्वारा किया जावेगा, जिसे वर्तमान में प्रचलित कार्यविभाजन पत्रक में पराकाम्य लिखत अधिनियम के अनुसार आरक्षी केन्द्र आबंटित किया गया है।
द- समस्त प्रकरण जिनमें पूर्व में फरार घोषित कर स्थाई गिरफ्तारी वारंट आदेशित किये जाने के उपरान्त बाबत् स्थाई गिरफ्तारी वारंट अभिलेखागार से तलब कर जिला स्थापना श्योपुर में पूर्व में पदस्थ श्रीमान, महेन्द्र सिंह मांगोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों का निराकरण **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री ऋचा भट्ट** द्वारा जारी किया जावेगा।
5. **समस्त मजिस्ट्रेट, स्वयं के न्यायालय से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अपीलीय न्यायालय** से वापस आने वाले प्रकरण जुर्माना, प्रतिकर एवं सुपरसेशन वारंट आदि से संबंधित समस्त कार्यवाही करेंगे।
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के **रिक्त न्यायालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अपीलीय न्यायालय** से वापस आने वाले प्रकरण में जुर्माना/प्रतिकर/सुपरसेशन वारंट संबंधी निष्पादन कार्यवाहियां/विविध निष्पादन कार्यवाहियां एवं आदेश/निर्णय के अनुपालन में की जाने वाली समस्त निष्पादन कार्यवाहियां/विविध निष्पादन कार्यवाहियां एवं रिक्त न्यायालय के स्थायी वारंट जिला मुख्यालय, **श्योपुर में श्री परवेज आलम**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर/उनके पदोत्तरवर्ती द्वारा एवं बाह्यवर्ती न्यायालय, **विजयपुर में श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर/उनके पदोत्तरवर्ती द्वारा किया जावेगा।
7. स्थापना पर कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति/अवकाश/स्थानांतरण की दशा में उनके न्यायालय का आपराधिक कार्य का प्रभार निम्नानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा :-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम चार्ज	द्वितीय चार्ज	तृतीय चार्ज	चतुर्थ चार्ज
1	संध्या मरावी सी.जे.एम. श्योपुर	श्री अमोघ अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्रीमती मनदीप कौर जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
2	श्री अमोघ अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्रीमती मनदीप कौर जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
3	श्रीमती मनदीप कौर जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	श्री अमोघ अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
4	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	श्रीमती मनदीप कौर जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री अमोघ अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
5	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	श्रीमती मनदीप कौर जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री अमोघ अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
6	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	श्रीमती मनदीप कौर जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री अमोघ अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
7	श्री विनय जैन जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
8	श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्री विनय जैन जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	सुश्री पूर्वी राय जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री परवेज आलम, जे.एम.एफ. सी. श्योपुर	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ.सी. श्योपुर

8. रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति, माफ़ी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है, उनका निराकरण संबंधित आरक्षी केन्द्रों के न्यायालय मजिस्ट्रेटों द्वारा स्वयं के द्वारा किया जावेगा।

9. स्थापना पर कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा निम्नलिखित आरक्षी केन्द्रों अनुसार द0प्र0सं0 1973 की धारा 164/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अधीन कथन/संस्वीकृतियां लिये जायेंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में द0प्र0सं0 1973 की धारा 164/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के कथन/संस्वीकृतियां कार्य विभाजन की नोट क्रमांक-7 के अनुसार निम्नलिखित प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे :-

क्र0	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र
1	श्री अमोघ अग्रवाल जे0एम0एफ0सी0 श्योपुर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मानपुर, आवदा एवं आबकारी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण (महिला उत्पीडन संबंधित आपराधिक प्रकरण को छोड़कर)।
2	श्रीमती मनदीप कौर जे0एम0एफ0सी0 श्योपुर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, आवदा एवं बरगंवा, अजाक एवं महिला थाना से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं किशोर न्याय बोर्ड के समस्त आपराधिक प्रकरण।
3	सुश्री, रिचा भट्ट जे0एम0एफ0सी0 श्योपुर	आरक्षी केन्द्र देहात एवं बरगंवा से उत्पन्न होने वाले (महिला उत्पीडन संबंधित आपराधिक प्रकरण को छोड़कर) आपराधिक प्रकरण तथा आरक्षी केन्द्र मानपुर, बढौदा, ढोढर, कराहल एवं सेसईपुरा से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
4	सुश्री पूर्वी राय जे0एम0एफ0सी0 श्योपुर	आरक्षी केन्द्र बढौदा, सेसईपुरा एवं वन विभाग से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण (महिला उत्पीडन संबंधित आपराधिक प्रकरण को छोड़कर)।
5	श्री परवेज आलम जे0एम0एफ0सी0 श्योपुर	आरक्षी केन्द्र कराहल, ढोढर एवं अजाक से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण (महिला उत्पीडन संबंधित आपराधिक प्रकरण को छोड़कर)।
तहसील विजयपुर से संबंधित		
6	श्री विनय जैन, जेएमएफसी श्योपुर	01. आरक्षी केन्द्र वीरपुर, रघुनाथपुर, चिलवानी, ओछापुरा से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीडन (माननीय सत्र न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा विचारणीय आपराधिक प्रकरण) सहित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा आरक्षी केन्द्र विजयपुर, अगरा, गसवानी,

		मगरदा, वनविभाग, आबकारी अधिनियम से उत्पन्न केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा महिला उत्पीड़न से संबंधित विचारणीय आपराधिक प्रकरण।
7	श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	आरक्षी केन्द्र विजयपुर, अगरा, गसवानी, मगरदा, आबकारी अधिनियम एवं वनविभाग से उत्पन्न होने वाले (महिला उत्पीड़न के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण जिसके अंतर्गत महिला उत्पीड़न के माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध भी आते हैं।

नोट— तहसील विजयपुर में श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर, जिला-श्योपुर के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में तहसील विजयपुर के समस्त थानों से महिला उत्पीड़न के मामले जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, उनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत कथन **श्रीमती मनदीप कौर सेहमी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के द्वारा लिये जावेंगे।

10. संबंधित निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यविभाजन पत्रक के अनुमोदन पश्चात् जिस मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में नवीन आरक्षी केन्द्र आबंटित किये गये हैं, उनसे संबंध रिमांड पत्रावली, सुपुर्दगीनामा पत्रावली एवं एफआईआर इंटिमेशन आदि उक्त न्यायालय में अंतरित की जावे।
11. किसी अन्य पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो समान अधिकार युक्त हों, पर यह आदेश प्रभावी होगा।
12. विशेष परिस्थितियों में सम्पूर्ण जिले से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
13. किसी न्यायालय के लम्बित एवं निर्णीत दाण्डिक प्रकरण से उद्भूत विविध कार्यवाही एवं प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेंगे।
14. एन0डी0पी0एस0 एक्ट, म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम तथा अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं अन्य सभी विशेष मामलों में सार्वजनिक अवकाश/अवकाश के दौरान रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही की जावेगी और रिमाण्ड प्रपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित विशेष न्यायाधीश महोदय की ओर यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।
15. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से लगाई जावेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी सम्पूर्ण जिले में चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर की अनुमति से लगाई जावेगी।
16. कार्य विभाजन आदेश, विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
17. अवकाश काल में प्रत्येक माह मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायेगी।
18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
19. जिला एवं तहसील मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को समस्त आरक्षी केन्द्रों का, अतिरिक्त आवश्यक कार्य सम्पादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
20. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
21. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।
22. धारा-176(1)(क) द0प्र0सं0/ धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कस्टोडियल डेथ के मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस अधिकारी/जेल अधिकारी के निवेदन पर जांच करेंगे।
23. थाने के अंतर्गत उनकी चौकियां भी सम्मिलित हैं।
24. यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर की अनुमति व अनुमोदन दिनांक से लागू होगा।

अनुमोदित,

07.01.2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर (म0प्र0)

(समीरा मरावी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्योपुर (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) महोदय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शयोपुर, जिला-शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
7. श्रीमान प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
8. श्रीमान तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
9. श्रीमान जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला भयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
10. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
11. जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर, जिला शयोपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
12. पुलिस अधीक्षक, जिला शयोपुर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अधीनस्थ थाना प्रभारी को अवगत किया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शयोपुर एवं विजयपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. प्रस्तुतकार, न्यायालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. स्टेनो, न्यायालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. जिला अभियोजन अधिकारी, शयोपुर/सहा. लोक अभियोजक विजयपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18. जिला आबकारी अधिकारी, शयोपुर/आबकारी अधिकारी विजयपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20. जिला खनिज अधिकारी, शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विजयपुर, जिला-शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
23. उप-अधीक्षक, जिला जेल शयोपुर/सहायक अधीक्षक, उपजेल विजयपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
24. सी.एम.एच.ओ., जिला शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
25. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शयोपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, शयोपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
27. ई-फाइलिंग काउण्टर लिपिक, शयोपुर एवं विजयपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संख्या मरावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शयोपुर (म0प्र0)